न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 31/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/151

अनवान

1. रामचन्द्र पुत्र करमा खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. उदयलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. धन्ना पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. सुखलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6. नन्दराम पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7. गणेश पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन पुत्र चत्रभुज खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरा पुत्र चत्रभुज खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चुन्नीलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नन्दराम पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरूलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मियाराम पुत्र भैरूलाल बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. हरलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नेनूराम पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. शिवलाल पुत्र वालुराम लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सोहन पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पप्पु पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भंवरलाल पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13. योगेश पुत्र वालुराम लौहार निवारी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14. रामेश्वर पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शंकर पुत्र वालुराम लौहार निवारी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मदनलाल पुत्र रंगलाल दर्जी निवारी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17. मोहनी पत्नि मांगीलाल कुमावत निवारी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18. लक्ष्मीदेवी पत्नि शंकरलाल कुमावत निवारी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

सहायक कलक्टर

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 से 4, 7 से 18 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 5/12/2025

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नाहरी	278	3264 / 479	0.01 गै.मु आचा
2	नाहरी	278	3265 / 479	1.35 गै.मु. आवासीय
3	नाहरी	278	458	0.31
4	नाहरी	278	459	0.44
5	नाहरी	278	460	0.19
6	नाहरी	278	466	0.05
7	नाहरी	278	467	0.05
8	नाहरी	278	468	0.28
9	नाहरी	278	469	0.24
10	नाहरी	278	471	0.03
11	नाहरी	278	472	0.08
12	नाहरी	278	473	0.33
13	नाहरी	278	474	0.03 गै.मु. आचा
14	नाहरी	278	475	0.18
15	नाहरी	278	476	0.14
16	नाहरी	278	477	0.30
17	नाहरी	278	478	0.22
18	नाहरी	278	480	0.04 गै.मु. आचा
19	नाहरी	278	481	0.19
		कुल किता कुल रकबा	19	4.36

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक की मय नक्शा ट्रेस पेश की है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीगा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 05.05.2025 को

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर

कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 से 4, 7 से 18 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 18.11.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या विपक्षी संख्या 5, 6 के विरूद्व प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है तथा विपक्षी संख्या 19 औपचारिक पक्षकार है।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 278 में अंकित आराजियात कुल किता 19 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक की मय नक्शा ट्रेस पेश की है। प्रार्थीगणं की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 278 में अंकित आराजियात कुल किता 19 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2075–2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3265/479 रकबा 1.35 है0 भूमि किस्म गै.मु. आवासीय होने से पत्थरगढ़ी के आदेश में सम्मिलित नही का जाती है। इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

::— <u>आदेश</u> —::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की निम्न आराजियात स्थित है :–

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नाहरी	278	3264/479	0.01 गै.मु आचा
2	नाहरी	278	458	0.31
3	नाहरी	278	459	0.44
4	नाहरी	278	460	0.19
5	नाहरी	278	466	0.05
6	नाहरी	278	467	0.05
7	नाहरी	278	468	0.28
8	नाहरी	278	469	0.24
9	नाहरी	278	471	0.03
10	नाहरी	278	472	0.08
11	नाहरी	278	473	0.33
12	नाहरी	278	474	0.03 गै.मु. आचा
13	नाहरी	278	475	0.18
14	नाहरी	278	476	0.14
15	नाहरी	278	477	0.30
16	नाहरी	278	478	0.22
17	नाहरी	278	480	0.04 गै.मु. आचा
18	नाहरी	278	481	0.19
		कुल किता कुल रकबा	18	3.01

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक की मय नक्शा ट्रेस पेश की है। उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 3000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 6000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 4/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 31 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 151

अनवान

1. रामचन्द्र पुत्र करमा खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर मृतक के वजाय

1/1. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/2. उदयलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/3. धन्ना पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/4. सुखलाल पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/5. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/6. नन्दराम पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/7. गणेश पुत्र रामचन्द्र खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन पुत्र चत्रभुज खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरा पुत्र चत्रभुज खारोल निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चुन्नीलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नन्दराम पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरूलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मियाराम पुत्र भैरूलाल बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हरलाल पुत्र रामचन्द्र बागरिया निवासी सरगु तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नेनूराम पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शिवलाल पुत्र बालुराम लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सोहन पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पप्पु पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भंवरलाल पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. योगेश पुत्र बालुराम लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. रामेश्वर पुत्र भैरू लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शंकर पुत्र बालुराम लौहार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मदनलाल पुत्र रंगलाल दर्जी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मोहनी पत्नि मांगीलाल कुमावत निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. लक्ष्मीदेवी पत्नि शंकरलाल कुमावत निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :–<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

दिनांकः— 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 4-12-2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की निम्न आराजियात स्थित है :—

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नाहरी	278	3264 / 479	0.01 गै.मु आचा
2	नाहरी	278	458	0.31
3	नाहरी	278	459	0.44
4	नाहरी	278	460	0.19
5	नाहरी	278	466	0.05
6	नाहरी	278	467	0.05
7	नाहरी	278	468	0.28
8	नाहरी	278	469	0.24
9	नाहरी	278	471	0.03
10	नाहरी	278	472	0.08
11	नाहरी	278	473	0.33
12	नाहरी	278	474	0.03 गै.मु. आचा
13	नाहरी	278	475	0.18
14	नाहरी	278	476	0.14
15	नाहरी	278	477	0.30
16	नाहरी	278	478	0.22
17	नाहरी	278	480	0.04 गै.मु. आचा
18	नाहरी	278	481	0.19
		कुल किता कुल रकबा	19	3.01

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक की मय नक्शा ट्रेस पेश की है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 3000/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 6000/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा